**जनपद बिजनौर**

**प्रेस नोट – थाना किरतपुर** **दिनांक – 21.06.2025**

**थाना किरतपुर पुलिस ने लूट की घटना का अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तगण (एक घायल अवस्था में) को किया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से छीनी गई (नगदी, मोबाइल आदि) तथा अवैध शस्त्र बरामद।**

**संक्षिप्त विवरण –**

दिनांक 20.06.2025 को वादी पवन कुमार पुत्र ओमपाल सिंह निवासी मोहल्ला कोटला थाना किरतपुर जनपद बिजनौर की तहरीर के आधार पर सीएनजी पैट्रोल पम्प किरतपुर के पास अज्ञात अभियुक्तो द्वारा वादी से मोबाइल फोन ,पैसे, आधार कार्ड छीन लेने के संबंध में थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 164/2025 धारा 304(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्त जावेद पुत्र बाबू निवासी मौ0 मीठा शहीद कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया।

**कार्यवाही –**

आज दिनांक 21.06.2025 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियोग में वांछित अभियुक्त जावेद पुत्र बाबू को सकरपुरी अण्डरपास किरतपुर हाईवे से गिरफ्तार किया था, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त स्कूटी, आधार कार्ड की छायाप्रति व 1100 रूपये नगदी बरामद किये गये। अभियुक्त जावेद ने पूछताछ पर बताया कि उक्त घटना में उसके साथ अभियुक्त नदीम उर्फ माढा पुत्र सफीक निवासी मौ0 काजियान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर भी शामिल था।

थाना किरतपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त नदीम उर्फ माढा की गिरफ्तारी के लगातार प्रयास किये जा रहे थे कि पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त नदीम उपरोक्त ग्राम भगवानपुर के आगे जंगल में है। थाना किरतपुर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर अभियुक्त को पकडने का प्रयास किया तो अभियुक्त नदीम उर्फ माढा ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया, जिससे मुख्य आरक्षी कपिल के बाये हाथ में गोली लगी और वह घायल हो गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी जवाबी फायरिंग में अभियुक्त नदीम के बाये पैर में गोली गली, जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त नदीम के कब्जे से अभियोग से संबंधित छीना गया वीवो मोबाइल फोन, 790 रूपये नगदी व एक तमंचा 315 बोर, 02 जिंदा कारतूस 315 बोर, एक खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किये गये। घायल अभियुक्त नदीम व घायल मु0आरक्षी कपिल को उपचार हेतु जिला अस्पताल बिजनौर में भर्ती कराया गया है। इस संबंध में थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 165/2025 धारा 109(1) बीएनएस व धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया है। बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 164/2025 मे धारा 317(2) की वृद्धि की गई है। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –**

1.जावेद पुत्र बाबू निवासी मौ0 मीठा शहीद कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

2. नदीम उर्फ माढा पुत्र सफीक निवासी मौ0 काजियान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

**बरामदगी –**

1.घटना में प्रयुक्त स्कूटी, आधार कार्ड की छायाप्रति व 1100 रूपये की नगदी (अभियुक्त जावेद से बरामद)

2.वादी से छीना गया मोबाईल फोन वीवो टी-2 प्रो, 790 रूपये की नगदी तथा एक अवैध तमन्चा 315 बोर मय 02 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर (अभियुक्त नदीम से बरामद)

**अभियुक्त जावेद का आपराधिक इतिहास**

1.मु0अ0सं0 370/11 धारा 323/376/504/506/511 भादवि थाना किरतपुर बिजनौर।

2.मु0अ0सं0 408/11 धारा 110जी थाना किरतपुर बिजनौर।

3.मु0अ0सं0 461/11 धारा 110जी थाना किरतपुर बिजनौर।

4.मु0अ0सं0 203/21 धारा 13जी थाना किरतपुर बिजनौर।

5.मु0अ0सं0 417/19 धारा 143/145/147/149/188/353/437/504/506 भादवि व धारा 7 सीएल एक्ट थाना किरतपुर बिजनौर।

6.मु0अ0सं0 164/2025 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

**अभियुक्त नदीम का आपराधिक इतिहास –**

1.मु0अ0सं0 78/20 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम व धारा 380/457/411 भादवि थाना किरतपुर बिजनौर।

2.मु0अ0सं0 86/20 धारा 380/411/457 भादवि थाना किरतपुर बिजनौर

3.मु0अ0सं0 101/21 धारा 3/5 आयुध अधि0 थाना नगीना बिजनौर।

4.मु0अ0सं0 153/23 धारा 323/498(ए)/504/506 भादवि थाना किरतपुर बिजनौर।

5. मु0अ0सं0 164/2025 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

6. मु0अ0सं0 165/2025 धारा 109(1) बीएनएस व धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना किरतपुर बिजनौर।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –**

1. थानाध्यक्ष श्री विरेन्द्र कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
2. उ0नि0 श्री रोबिन कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
3. हे0का0 268 मोमिन थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
4. हे0का0 364 लालू थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
5. का0 2171 प्रवेन्द्र थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
6. का0 689 गौरव थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
7. का0 2119 मोहसीन थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
8. का0 1996 अकुंर राणा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
9. का0 1177 पुनित थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

# जनपद बिजनौर

**प्रेस नोटः- थाना नगीना** **दिनांक 21.06.2025**

**थाना नगीना पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 104/25 धारा 191(2)/109(1)/131/126(2)/115(2)/324(4)/61(2)/3(5) बी0एन0एस0 मे वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार व एक बाल अपचारी को पुलिस निगरानी मे लिया गया।**

**संक्षिप्त विवरण-**

दिनांक 12.06.2025 को वादी श्री मौ0 आजम पुत्र मौ0 अख्तर निवासी ग्राम अलीपुरा जट थाना नगीना जनपद बिजनौर ने थाना नगीना पर तहरीर दी कि जब वह ग्राम अकबराबाद स्थित अपनी परचून की दुकान बन्द करके रात्रि के समय अपनी गाडी आल्टो रजि0 नं0 यूपी20यू-0151 द्वारा अपने घर ग्राम अलीपुर जट आ रहा था तो रास्ते मे उसके गांव के नजदीक भट्टे की जमीन के पास कुछ अज्ञात बदमाशो ने उसे रोक लिया तथा लाठी-डन्डो से उसकी आल्टो कार मे तोड-फोड की गई व वादी के साथ मारपीट की गई तथा कार मे रखा थैला जिसमे 80,000/- रूपये थे, को छीनकर ले गए। वादी ने शक के आधार पर उससे रंजिश रखने वाले अरशद पुत्र बाबू हाफीज निवासी अलीपुरा जट थाना नगीना जनपद बिजनौर व कुछ अज्ञात व्यक्तियो पर उपरोक्त घटना के आरोप लगाये। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नगीना पर मु0अ0सं0 104/25 धारा 126(2)/324(4)/115(2)/309(4) बीएनएस बना अरशद उपरोक्त व कुछ अज्ञात व्यक्ति पंजीकृत किया गया।

स्थानीय पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग मे वांछित 06 अभियुक्तगण 1.अरशद पुत्र बाबू हाफिज 2.लुकमान उर्फ सद्दाम पुत्र याकूब, 3.मौ0 फरमान पुत्र मौहम्मद असगर, 4.सलीम पुत्र नफीस शाह निवासीगण अलीपुरा जट थाना नगीना जनपद बिजनौर 5.विकुल शर्मा उर्फ लकी पुत्र जगमोहन शर्मा निवासी नारायणपुर रामजी उर्फ तेलीपुरा थाना नगीना जनपद बिजनौर व 6.मौ0 जाकिर पुत्र खुर्शीद अहमद निवासी मौ0 शाहजहीर कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर को घटना मे प्रयुक्त 03 लकडी के डन्डे/लाठी सहित पूर्व मे ही गिरफ्तार किया जा चुका है एवं 01 साथी बालअपचारी को पुलिस निगरानी मे लिया गया था तथा अभियोग मे धारा 309(4) का लोप करते हुए धारा 191(2)/109(1)/131/61(2)/3(5) बीएनएस की वृद्धि की गई थी।

**कार्यवाही विवरणः-**

थाना नगीना पुलिस द्वारा आज दिनांक 21.06.2025 को उपरोक्त अभियोग मे वांछित अभियुक्त कार्तिक कश्यप पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम नारायणपुर रामजी उर्फ तेलीपुरा थाना नगीना जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया तथा साथी 01 बालअपचारी को पुलिस निगरानी मे लिया गया। इनके कब्जे से घटना मे प्रयुक्त 02 लकडी के डन्डे/लाठी बरामद हुई। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-**

1.कार्तिक कश्यप पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम नारायणपुर रामजी उर्फ तेलीपुरा थाना नगीना जनपद बिजनौर।

2.एक बाल अपचारी को पुलिस निगरानी मे लिया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त कार्तिक व बालअपचारी का आपराधिक इतिहास-**

मु0अ0सं0 104/25 धारा 191(2)/109(1)/131/126(2)/115(2)/324(4)/61(2)/3(5) बी0एन0एस0 थाना नगीना जनपद बिजनौर।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-**

1.उ0नि0 तेजपाल सिंह थानाध्यक्ष, थाना नगीना जनपद बिजनौर।

2.उ0नि0 सरवेज खाँ थाना नगीना जनपद बिजनौर।

3.मुख्य आरक्षी बिजेन्द्र सिंह थाना नगीना जनपद बिजनौर।

4.आरक्षी मौ0 सूफियान थाना नगीना जनपद बिजनौर।

5.आरक्षी आकाशवीर थाना नगीना जनपद बिजनौर।

6.आरक्षी अमित कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर।

## जनपद बिजनौर

**प्रेस नोटः- थाना धामपुर** **दिनांक 21.06.2025**

**थाना धामपुर पुलिस ने 03 अभियुक्तों को चोरी की 05 मोटरसाइकिल व अवैध शस्त्रों सहित किया गिरफ्तार।**

**कार्यवाही विवरण-**

थाना धामपुर पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान अभियुक्तगण 1.सुनील कुमार पुत्र विक्रम सिंह निवासी अल्हैपुर मोकम थाना रेहड जनपद बिजनौर व 2.जैनेन्द्र चौहान उर्फ शालू पुत्र रामनाथ सिंह निवासी बसेडा कुवंर थाना धामपुर जनपद बिजनौर को चोरी की मो0सा0 एचएफ डीलक्स रंग काला रजि0 न0 HR36L9031 सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त सुनील उपरोक्त के कब्जे से एक तमन्चा 12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर तथा अभियुक्त जैनेन्द्र के कब्जे से एक अवैध चाकू भी बरामद हुआ है। अभियुक्तो द्वारा बताया गया कि उक्त मोटरसाईकिल को उनके द्वारा 10-11 दिन पहले अपने तीसरे साथी अंकुर कुमार पुत्र मुकन्दी सिंह नि0 बसेडा नारायण थाना धामपुर जनपद बिजनौर के साथ मिलकर गणेश धर्म कांटा व लेबर चौक के पास थाना सिडकुल जनपद हरिद्वार से चोरी की थी। अभियुक्तगण की निशांदेही पर इनके तीसरे साथी अंकुर कुमार पुत्र मुकन्दी सिंह निवासी बसेडा नारायण थाना धामपुर जनपद बिजनौर को इनके द्वारा चोरी की गई अन्य 04 मोटरसाईकिल तथा एक अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के संबंध मे थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 231/25 धारा 317(2)/317(4)/317(5)/318(4)/3(5) बीएनएस, धारा 3/25 व धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया।

**नोट-** अभियुक्तो के कब्जे से बरामद की गई 04 मोटरसाईकिल की चोरी के संबंध मे थाना सिडकुल जनपद हरिद्वार पर 04 अभियोग पंजीकृत है तथा बरामद की गई पांचवी मोटरसाइकल (पल्सर) जिसपर कोई नम्बर प्लेट / चैसिस नम्बर नही है, के संबंध मे जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-**

1.सुनील कुमार पुत्र विक्रम सिंह निवासी अल्हैपुर मोकम थाना रेहड जनपद बिजनौर।
2.जैनेन्द्र चौहान उर्फ शालू पुत्र रामनाथ सिंह निवासी बसेडा कुवंर थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
3.अंकुर कुमार पुत्र मुकन्दी सिंह निवासी बसेडा नारायण थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

**बरामदगी विवरण**

**05 चोरी मोटरसाईकिल क्रमशः**

1.मो0सा0 HF डिलक्स रंग काला रजि0 न0 HR36L9031 जिसका इंजन न0 HA11EA99E47885 चैसिस न0 MBLHA11EE99E23688 **(मु0अ0सं0 301/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना सिडकुल जनपद हरिद्वार)**

2.सुपर स्पलैण्डर नम्बर UK14E2167 चैसिस न0 MBLJAR164J9E08316 इंजन नम्बर JA06EHJ9E07990 **(मु0अ0सं0 293/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना सिडकुल जनपद हरिद्वार)**

3.स्पलैण्डर प्लस रजि0 न0 UP20BV7143 जिसका इंजन न0 HA11EVLHK00645 चैसिस न0 MBLHAW116LHK00798 **(मु0अ0सं0 298/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना सिडकुल जनपद हरिद्वार)**

4.मो0सा0 स्पलैण्डर प्लस रंग काला रजि0 न0 UP11AW1380 इंजन न0 HA10EWFHC11030 चैसिस न0 MBLHA10BWFHC63788 **(मु0अ0सं0 292/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना सिडकुल जनपद हरिद्वार)**

5.मो0सा0 पल्सर रंग लाल जिस पर आगे व पीछे नम्बर प्लेट नही लगी है तथा चैसिस न0 घिसा हुआ।

6.एक अवैध तमन्चा 12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर **(अभियुक्त सुनील से बरामद)**

7.दो अवैध चाकू (अभियुक्तगण जैनेन्द्र व अंकुर से बरामद)

**अभियुक्त सुनील का आपराधिक इतिहास-**

1.मुअ0सं0 249/2013 धारा 302 भादवि थाना रेहड जनपद बिजनौर।

2.मु0अ0सं0 250/2013 धारा 25 आ0 एक्ट थाना रेहड जनपद बिजनौर।

3.मु0अ0सं0 231/2025 धारा 317(2)/317(4)/317(5)/318(4)/3(5) बीएनएस व 3/25 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

**अभियुक्त जैनेन्द्र का आपराधिक इतिहास-**

1.मु0अ0सं0 230/12 धारा 302/394/452 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

2.मु0अ0सं0 231/2025 धारा 317(2)/317(4)/317(5)/318(4)/3(5) बीएनएस व 3/25 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

**अभियुक्त अंकुर का आपराधिक इतिहास-**

1.मु0अ0सं0 231/2025 धारा 317(2)/317(4)/317(5)/318(4)/3(5) बीएनएस व 3/25 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-**

1.उ0नि0 हरिओम गौतम थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

2.उ0नि0 अश्वनी कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

3.आरक्षी बादल थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

4.आरक्षी अमित थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

5.आरक्षी अमित कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

6.आरक्षी अर्जुन थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

7.पीआरडी राजवीर थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

**जनपद बिजनौर**

**प्रेस नोट** **दिनांक 21.06.2025**

**अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के अवसर पर जनपद बिजनौर में भव्य योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित।**

आज दिनांक 21 जून 2025 को 11वें *अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस* के अवसर पर जनपद बिजनौर में विविध स्थलों पर भव्य योगाभ्यास कार्यक्रमों का आयोजन अत्यंत उत्साह एवं अनुशासन के साथ किया गया। मुख्य कार्यक्रम का आयोजन नेहरू स्टेडियम एवं रिज़र्व पुलिस लाइन्स में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में *मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री कपिल देव अग्रवाल जी* ने प्रतिभाग किया।

इस अवसर पर *मा0 जनप्रतिनिधिगण*, *जिलाधिकारी बिजनौर*, *पुलिस अधीक्षक बिजनौर* सहित अन्य प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन के प्रति जागरूकता का संदेश दिया।

योग प्रशिक्षकों द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को विभिन्न योगासनों, प्राणायाम एवं ध्यान क्रियाओं का अभ्यास कराया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संतुलन के लिए योग को दैनिक जीवन में अपनाने की प्रेरणा देना रहा।

जनपद के *सभी थाना प्रभारियों एवं पुलिस स्टाफ* द्वारा भी अपने-अपने थानों पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। थाना परिसर में नियुक्त समस्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए योग के महत्व को आत्मसात किया।

यह आयोजन न केवल *शारीरिक स्वास्थ्य* बल्कि *मानसिक शांति* और *आत्मिक संतुलन* की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा। योग दिवस पर यह भव्य आयोजन 'स्वस्थ पुलिस – सशक्त राष्ट्र' की भावना को साकार करने वाला सिद्ध हुआ।

"करो योग, रहो निरोग" के संदेश के साथ समस्त जनपदवासियों को *अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस* की हार्दिक शुभकामनाएं।